रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2009/कार्तिक 25, 1931

No. 660] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2009/KARTIKA 25, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 826(अ).– केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) सातवा संशोधन नियम, 2009 है ।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के, उप नियम (3ख) में "अनुसूची -VII के स्तंभ (3) से (5) " शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " अनुसूची-VII के स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में "शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों को रखा जायें ।

3. अनुसूची- VII और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"[अनुसूची VII]

[नियम 3(3ख) देखिए]

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक

क्रम संख्या	प्रदूषक	समय आधारित औसत	परिवेशी वायु में सान्द्रण		
			औद्योगिक, रिहायशी, ग्रामीण और अन्य क्षेत्र	पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित)	प्रबोधन की पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सल्फर डाई आक्साइड (SO_2), $\mu g/m^3$	वार्षिक*	50	20	-उन्नत पश्चिम और गाईक -पराबैंगनी परिदीप्ति
		24 घंटे**	80	80	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	नाइट्रोजन डाई आक्साइड (NO_2), $\mu g/m^3$	वार्षिक* 24 घंटे**	40 80	30 80	-उपांतरित जैकब और हॉचाइजर (सोडियम-आर्सेनाइट) -रासायनिक संदीप्ति
3	विविक्त पदार्थ (10 माइक्रान से कम आकार) या PM_{10}, $\mu g/m^3$	वार्षिक* 24 घंटे**	60 100	60 100	-हरात्मक विश्लेषण, -टोयम -बीटा तनुकरण पद्धति
4	विविक्त पदार्थ (2.5 माइक्रान से कम आकार) या $PM_{2.5}$ $\mu g/m^3$	वार्षिक* 24 घंटे**	40 60	40 60	-हरात्मक विश्लेषण, -टोयम -बीटा तनुकरण पद्धति
5	ओज़ोन (O_3) $\mu g/m^3$	8 घंटे** 1 घंटा**	100 180	100 180	-पराबैगनी दीप्तिकाल - रासायनिक संदीप्ति - रासायनिक पद्धति
6	सीसा (Pb) $\mu g/m^3$	वार्षिक* 24 घंटे**	0.50 1.0	0.50 1.0	ई पी एम 2000 या समरूप फिल्टर पेपर का प्रयोग करके AAS/ICP पद्धति - टेफलॉन फील्टर पेपर का प्रयोग करते हुए ED-XRF
7	कार्बन मोनोक्साइड (co) mg/m^3	8 घंटे* 1 घंटा*	02 04	02 04	-अविपेक्षी अवरक्त (NDIR) स्पैक्ट्रम मापन
8	अमोनिया (NH_3) $\mu g/m^3$	वार्षिक* 24 घंटे**	100 400	100 400	-रासायनिक संदीप्ति -इण्डोफिनॉल ब्ल्यू पद्धति
9	बैन्ज़ीन (C_6H_6) $\mu g/m^3$	वार्षिक*	05	05	- आन लाइन गैस क्रोमेटोग्राफी - अधिशोषण तथा नि:शोषण के बाद गैस क्रोमेटोग्राफी
10	बेन्ज़ो (ए) पाईरीन (BaP) केवल विविक्त कण, ng/m^3	वार्षिक*	01	01	-विलायक निष्कर्षण के बाद HPLC/GC द्वारा विश्लेषण
11	आर्सेनिक (As) ng/m^3	वार्षिक*	06	06	-असंवितरक अवरक्त स्पैक्ट्रामिती, ई पी एम 2000 या समरूप फिल्टर पेपर का प्रयोग करके ICP/AAS पद्धति
12	निकिल (Ni) ng/m^3	वार्षिक*	20	20	ई पी एम 2000 या समरूप फिल्टर पेपर का प्रयोग करके ICP/AAS पद्धति

* वर्ष में एक समान अंतरालों पर सप्ताह में दो बार प्रति 24 घंटे तक किसी एक स्थान विशेष पर लिये गये न्यूनतम 104 मापों का वार्षिक अंकगणीतीय औसत ।

** वर्ष में 98 प्रतिशत समय पर 24 घंटे या 8 घंटे या 1 घंटा के मानीटर मापमान, जो लागू हो, अनुपालन किये जाएंगे । दो प्रतिशत समय पर यह मापमान अधिक हो सकता है, किन्तु क्रमिक दो मानीटर करने के दिनों पर नहीं ।

टिप्पण :

1.जब कभी और जहां भी किसी अपने-अपने प्रवर्ग के लिये दो क्रमिक प्रबोधन दिनों पर मापित मूल्य, ऊपर विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो तो इसे नियमित या निरंतर प्रबोधन तथा अतिरिक्त अन्वेषण करवाने के लिये पर्याप्त कारण समझा जायेगा ।"।

[फा. सं. क्यू-15017/43/2007-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में असाधारण सं.का.आ.844 (अ), तारीख 19 नवम्बर 1986 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं.का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल 1987, सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 2 अप्रैल 1996 और हाल में ही सा.का.नि. 97 (अ), तारीख 18 फरवरी 2009; सा.का.नि. 149 (अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; और सा.का.नि. 974 (अ) तारीख, 04 नवम्बर 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2009

G.S.R. 826(E).— In exercise of the powers conferred by section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Seventh Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (3B), for the words, brackets, figures and letters, "in columns (3) to (5) of Schedule VII", the words, brackets, figures and letters "in columns (4) and (5) of Schedule VII" shall be substituted.

3. For Schedule VII to the said rules and entries relating thereto, the following Schedule and entries shall be substituted, namely:—

"[SCHEDULE VII]

[See rule 3(3B)]

NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS

S. No.	Pollutant	Time Weighted Average	Concentration in Ambient Air		
			Industrial, Residential, Rural and Other Area	Ecologically Sensitive Area (notified by Central Government)	Methods of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sulphur Dioxide (SO_2), µg/m³	Annual*	50	20	- Improved West and Gaeke
		24 hours**	80	80	-Ultraviolet fluorescence
2	Nitrogen Dioxide (NO_2), µg/m³	Annual*	40	30	- Modified Jacob & Hochheiser (Na-Arsenite)
		24 hours**	80	80	- Chemiluminescence
3	Particulate Matter (size less than 10µm) or PM_{10} µg/m³	Annual*	60	60	- Gravimetric - TOEM
		24 hours**	100	100	- Beta attenuation
4	Particulate Matter (size less than 2.5µm) or $PM_{2.5}$ µg/m³	Annual*	40	40	- Gravimetric - TOEM
		24 hours**	60	60	- Beta attenuation

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Ozone (O_3) µg/m^3	8 hours** 1 hour**	100 180	100 180	- UV photometric - Chemilminescence - Chemical Method
6	Lead (Pb) µg/m^3	Annual* 24 hours**	0.50 1.0	0.50 1.0	- AAS /ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper - ED-XRF using Teflon filter
7	Carbon Monoxide(CO) mg/m^3	8 hours** 1 hour**	02 04	02 04	- Non Dispersive Infra Red (NDIR) spectroscopy
8	Ammonia(NH_3) µg/m^3	Annual* 24 hours**	100 400	100 400	-Chemiluminescence -Indophenol blue method
9	Benzene (C_6H_6) µg/m^3	Annual*	05	05	- Gas chromatography based continuous analyzer - Adsorption and Desorption followed by GC analysis
10	Benzo(a)Pyrene (BaP) - particulate phase only, ng/m^3	Annual*	01	01	- Solvent extraction followed by HPLC/GC analysis
11	Arsenic (As), ng/m^3	Annual*	06	06	- AAS /ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper
12	Nickel (Ni), ng/m^3	Annual*	20	20	- AAS /ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper

* Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform intervals.

** 24 hourly or 08 hourly or 01 hourly monitored values, as applicable, shall be complied with 98% of the time in a year. 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring.

Note.— Whenever and wherever monitoring results on two consecutive days of monitoring exceed the limits specified above for the respective category, it shall be considered adequate reason to institute regular or continuous monitoring and further investigation.".

[F. No. Q-15017/43/2007-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O.844(E), dated the 19th November, 1986; and subsequently amended vide numbers S.O. 433(E), dated the 18th April, 1987; G.S.R. 176 (E), dated the 2nd April 1996; and were recently amended vide numbers G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; and G.S.R. 794(E), dated the 4th November, 2009.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.